



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49457-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3116 वर्ष 2026

भगवान यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अरुण कुमार, बिमला प्रसाद
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तुत रिट याचिका द्वारा दिनांक 28.07.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके फलस्वरूप वाद अपराध संख्या 0068 वर्ष 2025, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम तथा धारा 319(2), 318(4) एवं 61(2) बी.एन.एस., थाना-कन्दवा, जनपद-चंदौली अंतर्गत पंजीकृत है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथमदृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कोई अपराध परिलक्षित नहीं होता है।
- इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. ने यह प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए आरोपों से प्रथमदृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, यथा **“स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 एस.सी.सी. 779”, “नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315”** तथा हालिया निर्णय **“प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य,**

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024 के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों पर विचार करने तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि एवं प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को भी संज्ञान में लेते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का उद्घाटन करती है, हम इस मत के हैं कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता।

6. अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

7. प्रस्तुत रिट याचिका में कोई merit नहीं पाई जाती, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 11 मार्च 2026

आर.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।